# निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 के साथ उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना

निविदा प्रपत्र का मूल्य :– प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु ट्रेजरी चालान के माध्यम से

रू0 5,000.00 (लेखा शीर्षक 0853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क

\+

13.5 % वैट अर्थात रू0 675.00 (लेखा शीर्षक 0040 बिकी, व्यापार, आदि पर कर 102 राज्य व्यापार कर/वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां, 01 कर संग्रहरण)

बिना शुल्क जमा किये प्राप्त निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

हैसियत प्रमाण–पत्र :–

1.जिलाधिकारी नैनीताल या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई हैसियत प्रमाण या सम्पत्ति प्रमाण–पत्र या समाशोधन क्षमता प्रमाण–पत्र (Solvency Certificate) अथवा बैंक गारण्टी निविदित क्षेत्र के आधार मुल्य 10 प्रतिशत के बराबर।

2.यदि हैसियत प्रमाण–पत्र अद्यतन न हो तो, इस शर्त के साथ अन्तरित रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत–प्रमाण पत्र की तिथि से अद्यतन) निविदाकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विकय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

3.हैसियत प्रमाण–पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारण्टी स्वीकार की जा सकेगी।

4.यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

5.हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि एफ0डी0आर0(नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी नैनीताल के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

बयाना धनराशि (Earnest Money):–

प्रत्येक निविदाकार से प्रत्येक निविदित क्षेत्र हेतु बयाना धनराशि (Earnest Money) के रूप में आधार मुल्य का 02 प्रतिशत जिलाधिकारी नैनीताल के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीकृत बैंक में ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। सफल निविदाकार को छोड़कर अन्य निविदाकारों की बयाना धनराशि (Earnest Money) को वापस कर दिया जायेगा। सफल निविदाकार की बयाना धनराशि (Earnest Money) को अग्रिम धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 (निविदा प्रपत्र) के साथ निम्न संलग्नक होंगे :–

1.आयकर के सम्बन्ध में निम्नानुसार शपथ पत्र :–

(क) आयकर विवरण Up to date जमा की गई हो।
(ख) आगणित आयकर जमा किया गया है।
(ग) स्वंमूल्यांकन के आधार पर आगणित आयकर जमा किया गया है।

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्रों में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी निविदाकार के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना हो कि यदि उसके नाम खनन पट्टा आवंटित होता है तो वह खनन पट्टा चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया खनन पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

(II) व्यापार कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र (विज्ञिप्त से 06 माह पूर्व तक का) की छायाप्रति स्वयं सत्यापित या अद्यतन शपथ पत्र।

(III) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(IV) जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(V) स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–1 में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।

(VI) निविदाकार व्यक्ति या निविदाकार समिति के विरूद्व खनन बकाया न होने का अद्यतन शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) या खनन अदेयता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(VII) निकासी गेट पर इलैक्ट्रोनिक तुलाई तुलाई मशीन लगाये जाने की वचनबद्वता या निकासी गेट के आस–पास अन्य कार्यरत इलैक्ट्रोनिक तुलाई मशीन के साथ अनुबन्ध की वचनबद्वता।

( VIII) हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वयं सत्यापित।

(iX) बयाना धनराशि (Earnest Money) की मूल प्रति।

(x) कोपोरेटिव सोसायटी के सम्बन्ध में कॉपी ऑफ रेज्यूलेशन समस्त पृष्ठों की स्वप्रमाणित प्रति।

(Xi) निविदा शुल्क जमा ट्रेजरी चालान की प्रतियॉ मूल में।

(Xii) निविदा आवंटन हेतु प्रकिया एवं खनन चुगान की शर्तों का प्रारूप की स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित प्रति।

निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा):–

1. स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटों निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I में निर्धारित स्थान पर चस्पा की जानी होगी।
2. लिफाफे के ऊपर खनन क्षेत्र का नाम विज्ञप्ति की कमांक व दिनांक एवं निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–II (वित्तीय निविदा) अंकित होना अनिवार्य।

निविदा जमा किये जाने हेतु

(1) सील बन्द लिफाफे में समस्त वांछित स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

(2)निविदा जमा कराने से पूर्व समस्त संलग्नक अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी होगी तथा समस्त अभिलेखों की कुल संख्या एवं कुल पृष्ठ संख्या निविदा प्रपत्र के अन्त में अंकित की जानी चाहिये।

(3)प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र एम0एम0–17 प्रपत्र–I (निविदा प्रपत्र) एवं समस्त वांछित अभिलेखों जिनके समस्त पृष्ठ स्वप्रमाणित हों बयाना धनराशि जमा किये जाने के मूल अभिलेख निविदा शुल्क जमा किये जाने के मूल अभिलेख रखकर सीलबन्द किये जायेंगे।

(4)द्वितीय लिफाफे में प्रपत्र निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) मूल प्रति में एवं स्वहस्ताक्षरित रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई अभिलेख अथवा अवांछित सूचना रखे जाने तथा किसी भी प्रकार की शर्त/अनुरोध अभिलिखित किये जाने से निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी। कमेटी के द्वारा ऐसी निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा। निविदाकार द्वारा लिफाफे को सीलबन्द कर दिया जाना आवश्यक होगा।

(5)निविदाकार द्वारा उपर्युक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द कर दिया जाना होगा।

(6)उपयुक्त तीनों लिफाफों के आवरण/मुख्य पृष्ठ पर निविदित खनन क्षेत्र का नाम, ग्राम तहसील, निविदा कमांक संख्या एवं निविदाकार के हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे तथा प्रथम लिफाफे के ऊपर निविद प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) तथा दुसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(7)निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) निविदा फार्म में निविदित मूल्य का पर्णत वर्जित होगा। ऐसी निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(8)निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) एवं निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) में समस्त पृविष्टयों पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी/अपूर्ण निविदा प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(9)निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) में निविदित मूल्य तथा समस्त इकाई (यूनिट) स्पष्ट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की ओवर राईटिग निविदा प्रपत्र अस्वीकृत माना जायेगा।

(10)निविदित धनराशि अंको तथा शब्दों में अभिलिखित की जानी होगी। अन्यथा निविदा को अस्वीस्कृत कर दिया जायेगा।

(11)निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—I (निविदा प्रपत्र) एवं निविदा प्रपत्र एम0एम0—17 प्रपत्र—II (वित्तीय निविदा) जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल से स्वीकृत प्रारूप (Format) पर ही मान्य होगी। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर निरस्त मानी जायेगी।

(12)निविदाकार द्वारा एक बार जमा की गयी निविदा अन्तिम होगी तथा उसमें किसी भी प्रकार का निविदा में संशोधन या निविदा वापिस प्राप्त किया जाना अनुमन्य नहीं होगा तथापि यदि कोई निविदाकार निविदा खोले जाने से पूर्व वापिस प्राप्त करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा प्रपत्र मूल्य तथा बयाना धनराशि जब्त करते हुए निविदा प्रकिया से पृथक कर दिया जायेगा।